

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकएफ-5(प)(58)एसीटीएडी/माडा/275(1)बिखरी क्षेत्र/छा.नि./21-22/

दिनांक-01/10/2021

29082-111

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),

जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),

अजमेर, सीकर, भरतपुर, करौली, जालोर, बून्दी, झालावाड, दौसा, भीलवाडा।

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत 50 की क्षमता के आश्रम छात्रावासों के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन से पत्रावली के पैरा 11/एन पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विभाग द्वारा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत निम्नांकित तालिका में वर्णित 11 नवीन आश्रम छात्रावास (प्रत्येक की क्षमता 50 बालक/बालिका) निर्माण कार्य हेतु इकाई लागत राशि रु. 280.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) को नियुक्त किया जाता है।

मौके की स्थिति अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल का ले-आउट प्लान, निर्माण कार्य की ड्राईंग, विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति तथा प्रत्येक कार्यवार विस्तृत तकनीकी नोट इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करावें ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।

(राशि लाखों में)


क्र.सं.	छात्रावास का नाम	क्षमता	छात्र/छात्रा	जिला	राशि
1.	अजमेर जिला मुख्यालय	50	छात्रा	अजमेर	280.00
2.	नीम का थाना	50	छात्रा	सीकर	280.00
3.	वैर	50	छात्रा	भरतपुर	280.00
4.	मण्डरायल	50	छात्रा	करौली	280.00
5.	करौली जिला मुख्यालय	50	छात्रा	करौली	280.00
6.	भीनमाल	50	छात्रा	जालोर	280.00
7.	बडोदिया (हिण्डोली)	50	छात्रा	बून्दी	280.00
8.	केशोरायपाटन, बून्दी	50	छात्रा	बून्दी	280.00
9.	मनोहरथना	50	छात्रा	झालावाड	280.00
10.	करनावर (बांदीकुई)	50	छात्र	दौसा	280.00
11.	शाहपुरा, भीलवाडा	50	छात्रा	भीलवाडा	280.00
				योग	2800.00

प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के पत्रांक 194 दिनांक 24.002.2021 (प्रति संलग्न) अनुसार छात्रावास निर्माण हेतु राजकीय विद्यालय/कॉलेज प्रांगण में निर्माण करने पर 2000 वर्ग मीटर की जमीन तथा उक्त परिसर से बाहर निर्माण करने पर 5000 वर्ग मीटर की भूमि आवंटन करायी जावें।

उपर्युक्त कार्यों के लिए यथोचित स्थान चिन्हिकरण एवं भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर महोदय से सम्पर्क कर यथा शीघ्र आवंटन करा कर आवंटन पत्र एवं नक्शा उपलब्ध करावें।


शर्तें-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य विद्यालय अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हों तो प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जावे। कार्यकारी एजेन्सी से स्वीकृत क्षमता के छात्रावास हेतु निर्धारित मापदण्ड के भवन का मानचित्र, प्रस्तावित स्थल का ले-आउट प्लान एवं एलिवेशन तैयार इस कार्यालय से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
2. तकमीने के प्रत्येक आईटम पर बी.एस.आर. का विवरण (बी.एस.आर. का विभाग, वर्ष एवं आईटम क्रमांक) अंकित करावें। नॉन बी.एस.आर. आईटम को सक्षम स्तर से अनुमोदित करा तकमीने में शामिल किया जावे। स्वीकृति की प्रति तकमीने में भी संलग्न की जावे।
3. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने में कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।

  
 (प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.  
 आयुक्त

क्रमांक एफ-5(प)(58)एसीटीएडी/माडा/275(1)बिखरी क्षेत्र/छा.नि./21-22/ दिनांक  
 प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर, सीकर, भरतपुर, करौली, जालोर, बून्दी, झालावाड, दौसा, भीलवाडा।
4. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।
6. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर, सीकर, भरतपुर, करौली, जालोर, बून्दी, झालावाड, दौसा, भीलवाडा।
9. मोनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर शाखा।
8. शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा उपयुक्त भूमि आवंटन करावें।
10. गार्ड फाईल।

  
 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
 Website www.tad.r ajasthan.gov.in ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in